

अध्याय-2

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) मूल्य वर्धन पर एक कर है। यह एक बहुमुखी कर है, जो बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। यह निर्माण/पुनः बिक्री के स्तर पर संग्रहित किया जाता है और इसमें इनपुट व खरीद पर दिए गए कर पर छूट देने का प्रावधान है, अतः यह सरकार को मूल्य बढ़ने के प्रत्येक स्तर पर राजस्व प्रदान करता है।

आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) द्वारा चार विशेष आयुक्तों की सहायता से मू.व.क.द्वारा प्राप्त प्राप्तियों को शासित किया जाता है। यहाँ पर दस जोन हैं तथा प्रत्येक जोन का प्रमुख संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त होते हैं जो कि अतिरिक्त आयुक्तों के अधीन कार्य करते हैं और मूल्य वर्धित कर अधिकारियों (मू.व.क.अ.) और सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारियों (स.मू.व.क.अ.) और अपने नियंत्रण के अधीन वार्डों में कार्य करने वाले निरीक्षकों का पर्यवेक्षण करते हैं। दिल्ली को 108 वार्डों में बाँटा गया है तथा प्रत्येक वार्ड का प्रमुख मूल्य वर्धित कर अधिकारी होता है।


2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

पिछले पाँच वर्ष में 2007-08 से 2011-12 के दौरान मू.व.क. से वास्तविक प्राप्तियों सहित उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियाँ तालिका 2.1 तथा ग्राफ में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.1 : राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक प्राप्तियाँ | भिन्नता आधिक्य (+)/ कमियाँ (-) | भिन्नताओं की प्रतिशतता | राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ | कुल कर प्राप्तियों सहित वास्तविक मू.व.क.प्राप्तियों की प्रतिशतता |
|---------|------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| 2007-08 | 8,500.00 | 8,310.49 | (-) 189.51 | (-) 2.23 | 11,782.80 | 70.53 |
| 2008-09 | 9,800.00 | 9,152.09 | (-) 647.91 | (-) 6.61 | 12,180.70 | 75.14 |
| 2009-10 | 10,000.00 | 10,126.01 | (+) 126.01 | (+) 1.26 | 13,447.86 | 75.30 |
| 2010-11 | 12,000.00 | 12,068.62 | (+) 68.62 | (+) 0.57 | 16,477.75 | 73.24 |
| 2011-12 | 14,500.00 | 13,750.95 | (-) 749.05 | (-) 5.17 | 19,971.67 | 68.85 |



2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व के बकाया ₹ 15249.16 करोड़ के थे जिसमें से ₹ 9253.44 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति तालिका 2.2 में दी गई है:

तालिका 2.2 : राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बकाया राशि का प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान जमा | वर्ष के दौरान संग्रहित राशि | बकाया राशि का अंतिम शेष |
|---------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2007-08 | 9253.44 | 193.23 | 982.71 | 8463.96 |
| 2008-09 | 8463.96 | 534.79 | 324.63 | 8674.12 |
| 2009-10 | 8674.12 | 2060.95 | 790.69 | 9944.38 |
| 2010-11 | 9944.38 | 2291.80 | 465.30 | 11770.88 |
| 2011-12 | 11770.88 | 3846.79 | 368.51 | 15249.16 |

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 और 2011-12 के दौरान राजस्व के बकायों में वृद्धि हुई है ₹ 7224.93 करोड़ का मुख्य भाग दिल्ली बिक्री कर (दि.वि.क.) से संबंधित था जो ₹ 15249.16 करोड़ के बकाया अंतिम शेष में भी सम्मिलित था।

2.4 कर निर्धारिती की रूपरेखा

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 233035 पंजीकृत व्यापारियों में से मासिक और त्रैमासिक व्यापारी क्रमशः 15825 तथा 217210 थे। 1349 व्यापारी एक करोड़ रुपये से अधिक जमा कर के आधार पर बड़े कर दाता थे तथा 93387 व्यापारी एक लाख रुपये से कम जमा कर के आधार

पर छोटे कर दाता थे । 233035 व्यापारियों को 31 मार्च 2012 को रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता थी जिनमें से 202632 व्यापारियों ने अपनी रिटर्न फाइल की ।

2.5 प्रति कर निर्धारती पर मू.व.क. की लागत

वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षों में प्रति कर निर्धारती पर मू.व.क. तालिका 2.3 में दिखाया गया है:

तालिका 2.3 : प्रति कर निर्धारती की मू.व.क. की लागत

(₹ लाख में)

| वर्ष | कर निर्धारतियों की कुल संख्या | संग्रहण की लागत | प्रति कर निर्धारती पर मू.व.क. की लागत |
|---------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2009-10 | 219902 | 5097.00 | 0.02 |
| 2010-11 | 231833 | 5080.00 | 0.02 |
| 2011-12 | 233035 | 5367.00 | 0.02 |

दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति कर निर्धारती पर वैट की लागत समान रही ।

2.6 कर निर्धारण में बकाया/संवीक्षा

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यापार तथा कर विभाग द्वारा बिक्री/मू.व.क. इत्यादि पर वर्ष के प्रारंभ में बकाया कर निर्धारण/संवीक्षा के मामलों की संख्या जो कि इस वर्ष के दौरान देय हो गई तथा वर्ष के दौरान निपटाये गए तथा लम्बित मामलों का तालिका 2.4 उल्लेख किया गया है:

तालिका 2.4 : निर्धारण में बकाया

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | | मामले जो कर निर्धारण*/**संवीक्षा के लिए देय बन गए | | कुल | | वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले | | वर्ष के अंत में बकाया मामले | |
|---------|------------------|----------------|---|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | दि.बि.क. प्रणाली | डी.वैट प्रणाली | दि.बि.क. प्रणाली | डी.वैट प्रणाली | दि.बि.क. प्रणाली | डी.वैट प्रणाली | दि.बि.क. प्रणाली | डी.वैट प्रणाली | दि.बि.क. प्रणाली | डी.वैट प्रणाली |
| 2009-10 | 5559 | 80059 | 390 | 105185 | 5949 | 185244 | 1004 | 94131 | 4945 | 91113 |
| 2010-11 | 4945 | 91113 | 634 | 42553 | 5579 | 133666 | 994 | 84726 | 4585 | 48940 |
| 2011-12 | 4585 | 48940 | 555 | 207155 | 5140 | 256095 | 3214 | 143560 | 1926 | 112535 |

*डी.वैट अधिनियम 2004 की धारा 31 के अनुसार जब रिटर्न एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है जैसाकि इस अधिनियम की धारा 26 अथवा 27 के अंतर्गत आवश्यक है तो उसमें निर्धारित सूचना और इस अधिनियम तथा नियमों की आवश्यकताओं का पालन शामिल है । यह रिटर्न कर-निर्धारण का नोटिस मानी जाती है तथा आयुक्त को दी जाती है ।

** विभाग द्वारा जारी दिनांक 23-06-05 की अधिसूचना के अनुसार वैट अधि/सहा. वैट अधि. रिटर्नों की संवीक्षा करता है; (i) पाँच करोड़ से अधिक सकल बिक्री के लिए शतप्रतिशत संवीक्षा, (ii) दो से पाँच करोड़ के बीच सकल बिक्री के लिए 50 प्रतिशत संवीक्षा (iii) एक से दो करोड़ के बीच कम सकल बिक्री के लिए 25 प्रतिशत, (iv) एक करोड़ से कम सकल बिक्री के लिए दो प्रतिशत संवीक्षा.

2.7 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के दौरान मूल्यवर्धित कर के संबंध में सकल संग्रहण राजस्व प्राप्तियों, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण, से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ वर्ष 2010-11 के लिए सकल संग्रहण को संग्रहित करने पर व्यय की न्यायोचित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता तालिका 2.5 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.5 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

| राजस्व का शीर्ष | वर्ष | संग्रहण | राजस्व के संग्रहण पर व्यय | संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता | वर्ष 2009-10 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता |
|-------------------------------|---------|----------|---------------------------|------------------------------|---|
| बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि | 2009-10 | 10126.01 | 50.97 | 0.50 | 0.75 |
| | 2010-11 | 12068.62 | 50.80 | 0.42 | |
| | 2011-12 | 13750.95 | 53.67 | 0.39 | |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2009-10 से 2011-12 के सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी । .

2.8 संग्रहण का विश्लेषण

बिक्री, व्यापार पर कर के राजस्व का संग्रहण वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 10126.01 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹ 13750.95 करोड़ हो गया जबकि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता उसी समयावधि के दौरान **0.50 प्रतिशत** से घटकर **0.39 प्रतिशत** हो गई ।

2.9 राजस्व प्रभाव

लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पिछले पाँच वर्षों के दौरान (चालू वर्ष की रिपोर्ट सहित) 61 पैराग्राफों में ₹ 5471.97 करोड़ के निहितार्थ राजस्व सहित गैर/कम उद्ग्रहण, गैर/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, त्रुटिपूर्ण छूट, छिपाव/ बिक्री का उन्मूलन, कर की अनुचित दर का उपयोग, त्रुटिपूर्ण गणना इत्यादि को इंगित किया गया है । इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 516.25 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है और इनमें से अब तक ₹ 0.26 करोड़ की वसूली की गई है । आपत्तियों को स्वीकार करने की तुलना में

रिकवरी स्थिति केवल 0.05 प्रतिशत थी । जिसका विवरण तालिका 2.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6 : राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़ में)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | सम्मिलित पैराग्राफ | | स्वीकृत पैराग्राफ* | वसूली राशि* |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | संख्या | राशि | राशि | राशि |
| 2006-07 | 12 | 59.71 | 16.54 | 0.08 |
| 2007-08 | 9 | 929.83 | 70.75 | 0.14 |
| 2008-09 | 12 | 1706.46 | 428.96 | 0.04 |
| 2009-10 | 15 | 1296.86 | 00 | 00 |
| 2010-11 | 13 | 1479.11 | 00 | 00 |
| कुल | 61 | 5471.97 | 516.25 | 0.26 |

टिप्पणी: * एक समीक्षा को एक पैराग्राफ माना गया है; इसलिए केवल विभाग द्वारा स्वीकृत राशि को 'स्वीकृत पैराग्राफ' आंकड़ों में लिया गया है।

2.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

व्या.क.वि.में एक आंतरिक लेखापरीक्षा सैल (आ.ले.प.सै.) अतिरिक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) के अधिभार के अन्तर्गत हैं। इस सैल को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार तथा अनुमोदित कार्य योजना तथा समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुसार मामलों की नमूना जांच करनी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर, व्या.क.वि. ने बताया कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वार्षिक योजना विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा सैल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु मामलों के चयन के लिए कसौटी का निर्णय लेने हेतु बनाई गई थी। आगे की अवधियों के लिए वार्षिक योजना नहीं बनाई गई थी।

इसके अलावा, वित्त विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा निदेशालय को सरकार के सभी कार्यालयों/विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा सौंपी जाती है। केवल व्यय के लिए विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा 2011-12 तक की गई है।

2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा में वैट से संबंधित 53 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान 1469 मामलों में ₹ 2667.19 करोड़ के कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को देखा गया

जो कि तालिका 2.7 : में दर्शाई गयी है:

तालिका 2.7 : अवनिर्धारण का श्रेणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|----------|--|------------------|---------|
| 1. | सांविधिक प्रपत्रों पर कर की छूट/रियायती दर का अनियमित दावा | 1104 | 2310.14 |
| 2. | कर की अनुचित दर का उपयोग | 4 | 1.69 |
| 3. | टी डी एस के कारण दावित अनियमित कटौती | 9 | 3.50 |
| 4. | इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा | 15 | 8.08 |
| 5. | धन की वापसी का अनियमित भत्ता | 4 | 0.75 |
| 6. | श्रम एवं सेवाओं के कारण अनुमत अनियमित कटौती | 1 | 0.77 |
| 7. | पुरानी वस्तुओं की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट का अनियमित समायोजन | 1 | 1.19 |
| 8. | बहु-माह लेनदेनों को शामिल करते हुए 'एफ' प्रपत्रों पर छूट का गलत दावा | 1 | 0.47 |
| 9. | एफ प्रपत्रों पर स्थानांतरित सामान के, संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का गैर कटौती | 1 | 0.74 |
| 10. | त्रुटिपूर्ण सांविधिक (सी) प्रपत्रों पर कर की रियायती दर/छूट का गलत दावा | 4 | 0.26 |
| 11. | स्टॉक स्थानांतरण पर छूट का अनियमित दावा | 1 | 0.18 |
| 12. | संशोधित रिटर्न के जरिए कर की वापसी/कमी का अनियमित दावा | 5 | 0.39 |
| 13. | कर का कम भुगतान | 1 | 0.15 |
| 14. | अन्य | 318 | 338.88 |
| कुल | | 1469 | 2667.19 |

इन मामलों का उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

2.12 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) के निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा में निर्धारित सांविधिक प्रपत्रों/अथवा त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों की प्रस्तुति के बिना रियायत/छूट के दावे, बिक्री/क्रय/स्टॉक का छिपाव, कटौती का अधिक दावा, छूट का अनियमित दावा इत्यादि के कई मामले पाए गए जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण किया गया जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ये मामले व्याख्यात्मक हैं और लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान देखे गए मामलों पर आधारित है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा में कर निर्धारण

प्राधिकारियों (क.प्रा.) को ऐसी त्रुटियों को इंगित किया गया, परन्तु न केवल अनियमितताएँ निरन्तर होती रहीं बल्कि जब तक लेखापरीक्षा नहीं की गई उनका पता नहीं चल पाया। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके, पता लगाया जा सके और सुधार किया जा सके।

2.13 सांविधिक प्रपत्रों पर कर की छूट/रियायती दर का अनियमित दावा

के.बि.क.अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अंतर्गत एक व्यापारी अन्तर्राज्यीय बिक्री के अंतर्गत सामग्री के लिये कर की छूट/रियायती दर का दावा कर सकता है: (क) किसी सामान के संदर्भ में इस आधार पर कि उसके द्वारा अपने व्यापार के किसी अन्य स्थान में अथवा अपनी शाखा को अथवा अपने एजेन्ट या प्रधान को जैसा मामला हो, ऐसे सामान के स्थानांतरण द्वारा लाया गया है। (ख) एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा सामान की बिक्री यदि व्यापारी बिक्री के सभी लेनदेनों को शामिल करते हुए 'सी' प्रपत्र में प्रस्तुत करता है; (ग) जहाँ किसी सामान की बिक्री, ऐसे सामान को एक राज्य से अन्य राज्य में ले जाने के दौरान (पारगमन बिक्री) स्वामित्व के दस्तावेजों को सरकार को या पंजीकृत व्यापारी को स्थानांतरण के कारण प्रभाव में लाई गई हो; तथा (घ) निर्यात बिक्री या विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाई को की गयी बिक्री के संबंध में फार्म 'एच' अथवा फार्म 'आई' जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने पर छूट दी जायेगी। कर की छूट/रियायती दर का दावा करने के लिए व्यापारी को के.बि.क. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक प्रपत्र जैसे एफ, सी, ई.-I, ई.-II, एच तथा आई प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में चूक के मामलों में लेनदेनों को राज्य में लागू दर पर निर्धारित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) के व्यापारियों के अभिलेखों की अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच की गई नमूना जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 में 1104 मामलों में व्यापारियों ने छूट/रियायती दर पर कर का दावा ₹ 28255.25 करोड़ पर किया जो शाखा स्थानांतरण/प्रेषण बिक्री, पारगमन बिक्री, विशेष आर्थिक जोन की बिक्री, भारत के बाहर निर्यात जिनका विवरण प्रपत्र I और प्रपत्र डी-वैट 51 में दिया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि इन मामलों में व्यापारियों ने आवश्यक सांविधिक प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित तिथि (31 दिसम्बर 2010) तक प्रस्तुत नहीं किए थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि 184 मामलों में व्यापारियों ने सांविधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि में बढ़ोतरी मांगी थी। तथापि बढ़ी हुई अवधि के बीत जाने के पश्चात भी व्यापारियों ने प्रपत्र जमा नहीं कराए। विभाग ने मांगी गई छूट को रद्द करते हुए इन व्यापारियों का कर निर्धारण करने का कोई कदम नहीं उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1905.84 करोड़ के कर की अनियमित छूट दी गई। इसके अतिरिक्त कर के गैर भुगतान के लिए ₹ 404.30 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

विवरण तालिका 2.8 में दिये गये हैं:

तालिका 2.8 : अनियमित छूट का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | लेनदेन का विवरण | मामलों की संख्या | लेनदेन का मूल्य | दिया जाने वाला कर | उद्ग्रहण योग्य ब्याज | कुल |
|---------|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 71 वार्डों ¹ में व्यापारियों ने शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण विक्री के समर्थन में निर्धारित एफ प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया | 359 | 19694.12 | 1427.73 | 302.76 | 1730.49 |
| 2. | 81 वार्डों ² में व्यापारियों ने निर्धारित सी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया | 638 | 5360.39 | 332.20 | 70.58 | 402.78 |
| 3. | 49 वार्डों ³ में व्यापारियों ने निर्धारित ई I/ई II प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया | 88 | 2636.55 | 140.51 | 29.80 | 170.31 |
| 4. | 14 वार्डों ⁴ में व्यापारियों ने निर्धारित फार्म एच प्रस्तुत नहीं किया | 13 | 19.45 | 1.17 | 0.26 | 1.43 |
| 5. | पाँच वार्डों ⁵ में व्यापारियों ने निर्धारित प्रपत्र 'आई' प्रस्तुत नहीं किया | 06 | 400.61 | 4.23 | 0.90 | 5.13 |
| | कुल | 1104 | 28111.12 | 1905.84 | 404.29 | 2310.14 |

¹ वार्ड संख्या 1,3,7,8,11,12,14,15, 16, 17, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,43,44,45,46,48, 49, 50,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106, के सी एस I, के सी एस II, के सी एस III, के सी एस IV, के सी एस V तथा के सी एस VI

² वार्ड संख्या 1,2,3,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33, 34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, 102, 103, 104,105,106, के सी एस I, के सी एस II, के सी एस III, के सी एस IV, के सी एस V तथा के सी एस VI

³ वार्ड संख्या 2,3,7,9,10,11,14,15,19,21,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,41,43,45,46,49,50,52, 53,56,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,77,83,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,98,100,101,102,103,104, के सी एस I, के सी एस II के सी एस III तथा के सी एस VI

⁴ वार्ड संख्या 6,8,13,17,30,33,34,35,43,49,52,57,66,71,72,74,80,83,84,87,93,96,97,105,106, के सी एस II, के सी एस III तथा के सी एस IV

⁵ वार्ड संख्या 12,19,100,102 तथा के सी एस VI,

लेखापरीक्षा द्वारा मामले की सूचना देने के पश्चात, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि 14 मामलों में ₹ 2.06 करोड़ की माँगें जारी की गयी हैं। आगे, शेष मामलों के संबंध में रिपोर्ट और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला अगस्त 2012 में सरकार को सूचित किया गया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.13.1 धन की वापसी का अनियमित भत्ता

डी-वैट अधिनियम 2004 की धारा 38 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के दावा कर की वापसी की अवधि एक माह या दो माह के भीतर है, यदि किसी व्यक्ति के दावा कर वापसी की अवधि तीन माह की है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि से अधिक दी गई राशि, यदि कोई है, को आयुक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि अथवा वापसी के लिए दावा करने के पश्चात एक माह के भीतर कर की राशि, जुर्माना तथा ब्याज वापिस करेगा।

इसके अतिरिक्त दिनांक 07-08-2008 के संख्या के संदर्भ में जारी 2008-09 के परिपत्र सं.-2एफ 6 (58)/पालिसी-1/वैट/2008/237 के अनुसार वापसी के दावे की अनुमति देने से पहले मू.व.क. अधिकारियों को सांविधिक प्रपत्रों की प्रस्तुति के लिए निर्धारित तिथियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित रिटर्न/रिटर्नों के साथ डी-वैट-51, प्रपत्रों के साथ-साथ प्राप्त सांविधिक प्रपत्रों की जाँच करना आवश्यक है। यदि ऐसे प्रपत्रों को फाइल करने की तिथि (तिथियाँ) पहले ही बीत चुकी हैं, के.बि.क.(दिल्ली) नियमावली 2005 के नियम (4) के प्रावधान के अनुसार कमी के मामले में माँग उत्थित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के दो वार्डों⁶ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित चार मामलों में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान व्यापारियों की कर देयता की जाँच किये बिना व्यापारियों को ₹ 61.29 लाख की धन की वापसी की अनुमति दी गई थी। दो मामलों में व्यापारियों ने सांविधिक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए थे तथा अन्य मामलों में व्यापारियों ने 2008-09 के परिपत्र सं. 2 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.29 लाख की अनियमित वापसी की गई थी। इसके अतिरिक्त ₹ 13.62 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले को विभाग तथा सरकार को भेजा, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

2.14 कर की गलत दर का लगाया जाना

डी.वैट अधिनियम, 2004 की धारा 3(2) में विनिर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक व्यापारी उसके द्वारा की गई वस्तुओं की प्रत्येक वक्री पर अधिनियम की धारा 4 की अनुसूचियों में उल्लिखित दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 86(12) में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलत रिटर्न जमा करता है, आयुक्त एक कर अवधि के लिए देय कर की

⁶ वार्ड संख्या 16,71

राशि का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकता है। कर का कम भुगतान करने पर कमी का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना या चूक की अवधि के लिये ₹ 100 प्रति सप्ताह, जो भी अधिक हों और उस पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दैनिक आधार पर परिकलित ब्याज, देय होगा।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के चार वार्डों के अभिलेखों की नमूना चाँच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित चार मामलों में व्यापारियों ने ₹ 13.07 करोड़ के बिक्री मूल्य पर अधिनियम में निर्धारित दरों की अपेक्षा कम दर पर कर का भुगतान किया। तथापि निर्धारण प्राधिकारी ने भुगतान किए गए कर की दर की सत्यता को निश्चित करने के लिए व्यापारियों के रिटर्नो की जाँच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.20 लाख के कर का कम भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 21.44 लाख का ब्याज तथा ₹ 74.67 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहण योग्य थे।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले को विभाग तथा सरकार को भेजा, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.15 स्रोत पर कर की कटौती पर अनियमित कटौती का दावा

“डी.वैट” अधिनियम 2004 की धारा 36(क) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो न तो व्यक्तिगत है और न हिन्दु अविभाजित परिवार है, बीस हजार रूपए के मूल्य से अधिक के लिए निर्माण कार्य करार के अनुरूप सामान की संपत्ति (चाहे वह वस्तुएँ अथवा किसी अन्य स्म में हो) के हस्तांतरण के लिए किसी व्यापारी/ठेकेदार को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो वह ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में क्रेडिट करते समय अथवा नकद में भुगतान करते समय अथवा अन्य किसी भी ढंग से जोकि पहले किया जाएगा उस पर दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त डी-वैट नियमावली 2005 के नियम 59(2) में भी प्रावधान है कि वह व्यक्ति जिसने कर की कटौती की है वह कटौती की राशि, दर जिस पर कटौती की गई है तथा सरकारी कोषागार में जमा के ब्यौरे के संबंध में मूल डी-वैट 43 प्रपत्र में कर की कटौती हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 तथा मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के पाँच वार्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि 2009-10 के कर-निर्धारण वर्ष से संबंधित नौ मामलों में निर्धारण प्राधिकारी यह पता लगाने में विफल रहा कि व्यापारियों ने डी.वैट-43 प्रपत्र में टी.डी.एस प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना टी.डी.एस की कटौती का दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ के कर की कमी का गलत दावा किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 94.48 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा ने मामला अगस्त 2012 में विभाग तथा सरकार को भेजा परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

⁷ वार्ड संख्या, 74,84,96 तथा के सी एस-1

⁸ वार्ड संख्या, 84,86,89,98 तथा 107

2.16 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा

डी-वैट अधिनियम 2004 की धारा 9 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी कर अवधि के दौरान कुल खरीद के संदर्भ में टैक्स क्रेडिट के लिये हकदार है, जहां खरीद व्यापारी के रूप में उसके क्रियाकलापों के दौरान होती है और सामग्री को उन विक्रियों के उद्देश्य के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी द्वारा उपयोग किया जाता है जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर योग्य हैं या अन्तर्राज्यीय व्यापार या भारत के संघ राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान किया जाता है। टैक्स क्रेडिट के गलत दावों पर जुर्माना दावा किए गए टैक्स क्रेडिट के बराबर अथवा ₹ 10,000 जो अधिक है, लगाया जाएगा। व्यापारी दैनिक आधार पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के दौरान व्या.क.वि. के दस वार्डों⁹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित 15 मामलों में व्यापारियों ने ₹ 795.94 करोड़ की स्थानीय रूप से वस्तुओं की खरीद पर अनुमत क्रेडिट ₹ 13.90 करोड़ के प्रति ₹ 17.31 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.40 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा हुआ जिसके फलस्वरूप उसी राशि तक कर का कम भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज और ₹ 3.40 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहण योग्य /वसूली योग्य थे।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.17 श्रम तथा सेवाओं के कारण अनुमत अनियमित कटौती

डी-वैट नियमावली 2005 के नियम 3 के अनुसार यदि निर्माण ठेके के निष्पादन से कुल बिक्री बढ़ रही है, कर योग्य बिक्री की राशि में श्रम व सेवाओं हेतु प्रभार इस शर्त के साथ सम्मिलित नहीं होंगे कि व्यापारी के पास आयुक्त की संतुष्टि के लिए इन प्रभारों की अदायगी के प्रमाणीकरण के समुचित अभिलेख हों। यदि श्रम व सेवाओं के प्रभारों की राशि व्यापारी के खातों से निश्चित नहीं हो सकती है तब निर्धारित प्रतिशतता से उसकी कटौती कर दी जायेगी।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2011 में डीटीटी के वार्ड 96 के अभिलेखों की नमूना जांच में आकलन वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित एक मामले में पाया कि डीलर ने बिना एक पृथक खाता प्रदान किए हुए जो इस प्रकार की छूट के लिए आवश्यक है, श्रम व सेवा प्रभार पर अपनी सकल उत्पाद निर्गत में से अनुमोदित दर से उच्चतर दर पर छूट माँगी। विभाग ने रिटर्न की भी जाँच नहीं की और डीलर द्वारा की गई कटौती को अनुमत्य नहीं किया। इस प्रकार ₹ 4.68 करोड़ की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप कर अदायगी ₹ 58.55 लाख कम हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 18.38 लाख ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा ने यह मामला अगस्त 2012 में विभाग व सरकार को अगस्त 2012 में इस मामले से अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

⁹ वार्ड संख्या. 16,42,54,55,60,62,74,89,96 तथा 97

2.18 पुराने सामानों की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट में अनियमिततापूर्ण समायोजन

डी-वैट नियम 2005 के नियम 9 के अनुसार किसी पंजीकृत डीलर द्वारा किसी स्थानीय विक्रेता, जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, खरीदे गए पुराने सामान पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास ऐसे सामान हेतु दी गई राशि दर्शाते हुए ऐसे स्थानीय विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक बीजक या रसीद के तौर पर पर्याप्त प्रमाण न हो ।

डी-वैट अधिनियम 2004 के अनुबन्ध 15(3) के अनुसार यदि पंजीकृत डीलर द्वारा दी गई धनराशि ₹ 2000 से अधिक है, तो टैक्स क्रेडिट उस टैक्स अवधि के लिए मान्य होगा, जब पंजीकृत व्यापारी द्वारा उन सामानों अथवा जिन सामानों में उन सामानों का प्रत्यारोपण किया गया है, को बेचा जाता है । अधिनियम के अनुबन्ध 86(10) यह प्रावधान करता है कि टैक्स क्रेडिट हेतु अनुचित दावा, माँगे गए टैक्स क्रेडिट के समान अथवा ₹ 10,000 जो भी अधिक हो, का दण्ड होगा । डीलर को प्रतिदिन के आधार पर अवकलित 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सामान्य ब्याज भी उद्ग्राह्य होगा ।

अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के वार्ड 93 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित एक मामले में डीलर ने स्थानीय विक्रेता से हस्ताक्षरित कोई बीजक या रसीद प्रदान किए बिना पुराने सामान की खरीद के आधार पर ₹ 49.56 लाख की राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन किया । आकलन प्राधिकारी ने व्यापारी द्वारा उसकी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की सत्यता के रिटर्न की समीक्षा में निश्चय नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.56 लाख से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया । इसके अतिरिक्त ₹ 19.59 लाख का ब्याज और ₹ 49.56 लाख का अर्धदण्ड भी लिया जाना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.19 बहु-माह लेनदेनों को सम्मिलित करते हुए 'एफ' प्रपत्रों पर छूट का अनुचित दावा

के.बि.क.अ. की धारा 6-ए के साथ पठित के. बि.क. (आर.व टी.) नियमावली के नियम 12(5) के अंतर्गत व्यापारी कर की छूट का दावा "एफ" प्रपत्र में घोषणा फाईल करने से कर सकता है जिसमें व्यापारी द्वारा एक कैलेण्डर माह की अवधि के दौरान प्रभावित सामान का स्थानांतरण जो राज्य के बाहर उसके व्यापार के किसी अन्य स्थान पर अथवा उसके एजेन्ट अथवा प्रधान द्वारा जैसा भी मामला हो, सम्मिलित है। अन्यथा, लेनदेनों को अन्तर्राज्यीय बिक्रियाँ माना जाएगा और उसके अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अगस्त 2011 की अवधि के व्या.क.वि. के वार्ड 22 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि निर्धारण वर्ष 2007-08 (चूक निर्धारण मामले) से संबंधित एक मामले में व्यापारी ने 'एफ' प्रपत्रों के आधार पर ₹ 2.42 करोड़ के शाखा स्थानांतरण/प्रेषण बिक्री पर कर की छूट का दावा किया जिनमें एक कैलेण्डर माह से अधिक के लेनदेन शामिल थे जिनको वैध घोषणाओं के बिना

अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ माना जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.22 लाख के कर की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त ₹ 16.50 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था ।

लेखापरीक्षा में अगस्त 2012 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

2.20 'एफ' प्रपत्रों पर स्थानांतरित सामानों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम न करना

डी-वैट अधिनियम 2004 की धारा 10(3) के अंतर्गत एक व्यापारी को निर्धारित अनुपात से दावित मूल रूप से कर क्रेडिट की राशि को कम करना आवश्यक है जहाँ-

- (क) सामान व्यापारी द्वारा स्थानीय रूप से खरीदा गया था; और
- (ख) व्यापारी ने सामान के संबंध में कर क्रेडिट का दावा किया, तथा निर्धारित प्रतिशतता से कर को कम नहीं किया; और
- (ग) सामान का पंजीकृत व्यापारी की एक शाखा अथवा प्रेषण एजेंट को बिक्री के रूप में दिल्ली से स्थानांतरित किया गया ।

अन्यथा टैक्स क्रेडिट के अधिक दावे पर जुर्माना कर में कमी का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह अथवा चूक की अवधि के लिए ₹ 100 प्रति सप्ताह जो भी अधिक हो तथा उस पर साधारण ब्याज आकलन दैनिक आधार पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पर देय होगा ।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2011 में डीटीटी के वार्ड सं. 104 के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित एक मामले में व्यापारी ने स्थानीय स्तर पर खरीदे गए सामान ₹ 9.17 करोड़ के सामान में से ₹ 5.24 करोड़ का शाखा स्थानांतरण किया, परन्तु इस प्रकार स्थानांतरित किए गए सामान के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट में कमी नहीं की। डीलर ने वर्ष के दौरान खरीद पर ₹ 30.97 लाख की राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.97 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा किया गया । इसके अतिरिक्त ₹ 9.72 लाख का ब्याज व ₹ 33.76 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राह्य था ।

लेखापरीक्षा ने मामले से अगस्त 2012 में विभाग और सरकार को अवगत कराया, परन्तु कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.21 दोषयुक्त संवैधानिक (सी) प्रपत्रों पर रियायती कर दरों का अनुचित दावा

सीएसटी अधिनियम 1956 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत एक डीलर अन्तर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत लेनदेन किए गए सामान हेतु कर से छूट/रियायती दरों हेतु दावा कर सकता है । दावा करने हेतु डीलर को अनुमोदित संवैधानिक प्रपत्र (मूल अंश में), जैसे एफ,सी, ई-I, ई-II, एच और आई प्रस्तुत करने होते हैं जो लेन-देन उचित व वैध संवैधानिक प्रपत्रों से प्रमाणित नहीं हैं, छूट/रियायती दर हेतु पात्र नहीं है और उनके द्वारा अधिनियम में निर्धारित लागू होने वाली दरों पर कर ब्याज सहित देय है ।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के तीन वार्डों¹⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित चार मामलों में डीलरों ने ₹ 6.23 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर के रियायती दर का दावा किया था। ये दावे वैध संवैधानिक प्रपत्रों द्वारा प्रमाणित नहीं थे। कर निर्धारक प्राधिकारी ने डीलरों द्वारा जमा कराए गए संवैधानिक प्रपत्रों की जाँच कर डीलर द्वारा अपने रिटर्न में किए गए अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर के दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर की उगाही में ₹ 21.30 लाख की कमी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 4.53 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला।

2.22 स्टॉक स्थानांतरण पर छूट के अनुचित दावे

डी-वैट 2004 के अनुबन्ध 86(10) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करता है जो असत्य, भ्रामक अथवा किसी महत्वपूर्ण विवरण में कपटपूर्ण हो, अथवा उसमें किसी ऐसे विषय या वस्तु का उल्लेख नहीं करता है जिसके बिना रिटर्न असत्य अथवा महत्वपूर्ण विवरण में भ्रामक हो जाए, अर्थदण्ड के रूप में ₹ 10,000 अथवा कर में कमी की धनराशि, जो अधिक हो का दायी होगा। इसके अतिरिक्त, कर पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अवकलित ब्याज भी उद्ग्रहण होगा।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के वार्ड सं. 75 के आकलन वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि डीलर ने डी-वैट-51 में स्टॉक स्थानांतरण के प्रति लेनदेन की धनराशि शून्य दर्शाई है जबकि डी-वैट-16(रिटर्न) के अनुसार इसे ₹ 1.90 करोड़ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के स्टॉक ट्रांसफर का दावा अधिक हुआ जिससे कर में ₹ 7.60 लाख की कम अदायगी हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.38 लाख का ब्याज और ₹ 7.60 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में विभाग और सरकार को मामले से अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.23 संशोधित रिटर्न के माध्यम से धन की वापसी के अनियमितपूर्ण दावे

डी-वैट अधिनियम, 2004 के अनुबन्ध 28 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 29 यह निर्धारित करते हैं कि यदि कर निर्धारण करने के चार वर्षों के भीतर कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत अपने द्वारा दाखिल की गई किसी रिटर्न में कोई गलती या त्रुटि पाता है और उसने उस गलती या त्रुटि के कारण अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से अधिक भुगतान किया है, तो वह अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन तथा इस ढंग से निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करा सकता है।

¹⁰ वार्ड संख्या 15,33 और 53

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के चार वार्डों¹¹ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बंधित पांच मामलों में डीलरों ने अधिनियम की धारा 74 के अनुपालन में कर निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराए बिना रिटर्नों को बाद में संशोधित कर धन की वापसी की राशि बढ़ा दी अथवा कर का दावा घटा दिया जो अनियमित था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने संशोधित रिटर्नों में डीलरों द्वारा बढ़ाई गई वापसियों या डीलरों की रिटर्नों में कर माँग की कमी को अनुमत न करना आदि की समीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 16.01 लाख की वापसी के दावों की गलत अनुमति के फलस्वरूप उसी सीमा तक कर का कम भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 6.81 लाख का ब्याज और ₹ 16.01 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.24 कर की कम अदायगी

डी-वैट अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन रिटर्न जमा कराने के 4 वर्षों के भीतर रिटर्न को स्वेच्छा से संशोधित करते हुए कर, ब्याज और उस पर कम किया हुआ अर्थदण्ड अदा कर गलती या त्रुटि को सुधारने हेतु अनुमत्य है। इसके विपरीत, कर की कम अदायगी हेतु चूक की अवधि के लिए प्रति सप्ताह कर में कमी का एक प्रतिशत अथवा ₹ 100 प्रति सप्ताह जो भी अधिक हो की दर से अर्थदण्ड और उस पर प्रतिदिन के आधार पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आकलित ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के वार्ड-92 के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बंधित एक मामले में डीलर ने अपने कर देयताओं का अवकलन ₹ 10.87 लाख की सही धनराशि के स्थान पर कुल ₹ 4.75 लाख किया। कर निर्धारक प्राधिकारी ने कर अदायगी का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु रिटर्नों की जाँच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.12 लाख के कर का कम भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.92 लाख का ब्याज और ₹ 6.67 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

¹¹ वार्ड सं. 74,96,97 और 98